संख्या-1462/15-7-08-16(50)/2008

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 20 जून, 2008

विषय :- एन0एम0 पब्लिक स्कूल ग्राम-सैनी, गौतमबुद्धनगर को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है,तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।
(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

--2--

N.O.C

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक(मा0),उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,प्रथम मण्डल,मेरठ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0,लखनऊ ।
5- प्रबंधक,एन0एम0पब्लिक स्कूल ग्राम-सैनी,गौतमबुद्धनगर।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

N.O.C

Manager
R L Vidya Samiti
Vill- Saini, Post- Baich
Gr. Noida, G.B. Nagar

PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
Vijay Pal Singh
GREATER NOIDA

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

सेवा मे   प्रबन्धक
एन० एम० पब्लिक स्कूल सैनी
सैनी सिकराव

पत्रांक / मान्यता । 1814-1857 1998-99   दिनांक 12-2-99

विषय:- प्राईमरी स्तर की स्थाई / ~~अस्थाई~~ मान्यता के सम्बन्ध मे ।

महोदय ,

उक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक की आख्या के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक -12/2/99 के प्रस्ताव संख्या (20) के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिबन्धो के साथ स्थाई / ~~अस्थाई~~ प्राईमरी स्तर एवं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जौलाई 98 से मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध

1- प्रबन्धीकरण की विनियम वर्णित एक्ट के अन्तर्गत वेतन का भुगतान करना होगा ;
2- प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति की जाये ।
3- विद्यालय मे स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाये।
4- छात्रो से निर्धारित शुल्क लिया जाये ।
5- विद्यालय की प्रबन्धक समिति का अनुमोदन कराना अनिवार्य
6- आवश्यकतानुसार विज्ञान / क्रि T / शिक्षण एवं समाज पयोगी सामाग्री व पुस्तको की व्यवस्था की जाये।
7- बिना विभाग अनुमोदन के नियुक्त न किया जाये ।
8- विद्यालय की प्रगति 30 जून 99 तक अवगत कराये।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प० सं०/ मान्यता /1814-1857 1998-99   दिनांक 12-2-99

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1- समाज कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर
2- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Manager
R L Vidya Samiti
Vill- Saini, Post- Baidpura
Gr. Noida, G.B. Nagar

N.M. PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
Vijay Pal Singh
GREATER NOIDA

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।
13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमो और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठायें तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निमार्ण करायें।

भवदीय,

16/3/05

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

पृ०सं० शि.स./ /2004-05 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र., इलाहावाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहावाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र, ।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नोएडा

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

Ckg/Jhr/mahm

Manager
R L Vidya Sain...
Vill- Saini, Post- Baid...a
Gr. Noida, G.B. Nagar

N.M. PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
Vijay Pal Singh
GREATER NOIDA